किशोर सशक्तिकरण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

प्रस्तुतकर्ता :– सिन्धु बिनुजीत,
बाल संरक्षण सलाहकार,
उदयपुर संभाग, उदयपुर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

- ✓ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जनजाति
- ✓ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग
- ✓ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जाति
- ✓ डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
- ✓ डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध.घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्रताएं

	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जनजाति	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध.घुमन्तु (क्छजे) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति
माता–पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय	रूपये 2.50 लाख तक हो।	रूपये 1,00 लाख तक हो।	रूपये 2.00 लाख से कम हो।	रूपये 1.00 लाख तक हो।	रूपये 2.50 लाख तक हो।
राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्ययन स्थिति	नियमित अध्ययनरत हो।	नियमित अध्ययनरत हो। (केवल राजकीय संस्थान में)	नियमित अध्ययनरत हो।	नियमित अध्ययनरत हो।	नियमित अध्ययनरत हो।
छात्र –छात्रा की श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।	उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो।	अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
मूल निवास	राजस्थान का मूल निवासी हो।	राजस्थान का मूल निवासी हों।	राजस्थान का मूल निवासी हों।	राजस्थान का मूल निवासी हों।	राजस्थान का मूल निवासी हो।
अन्य				विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो–	

छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु प्रक्रिया/दस्तावेज

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जनजाति	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध.घुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जाति
भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका	भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र. आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षण की अंक तालिका	भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका	भामाशाह आई.ड़ी आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंत तालिका जाति प्रमाण–पत्र	भामाशाह आई.डी. आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र आय घोषणा पत्र फीस की रसीद अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

नोटः– विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है।

छात्रवृत्ति योजनाओं अंतर्गत देय लाभ

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जनजाति	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध.घुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति– अनुसूचित जाति
सभी छात्रवृति योजनाओं में नियमानुसार **नॉन रिफण्डेबल फीस** एवं **अनुरक्षण भत्ते (Maintenance Fees)** को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।				

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना– पात्रता

- पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित वे बच्चे, जिनकी आयु **17 वर्ष पूर्ण** हो चुकी है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना – प्रक्रियाएं एवं देय लाभ

व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण

- बालक की **इच्छानुसार कोर्स** का चयन
- पालनहार लाभार्थी द्वारा विषय के अनुसार **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन**
- समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बालकों की सूची **राजस्थान कौशल एवं आजिवीका मिशन के निकटतम केन्द्र** को
- कोर्स की **फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा** आरमेाल को
- **अधिकतम 21 वर्ष** एवं दो प्रशिक्षण

उच्च/तकनीकी शिक्षा

- बालक की **इच्छानुसार कोर्स** का चयन ।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन एवं विभाग द्वारा फीस का भुगतान।
- पालनहार लाभार्थी द्वारा कोर्स में प्रवेश के बाद पुर्नभरण हेतु आवेदन, **पुर्नभरण बालक के खाते में** (1 माह में)
- **अधिकतम 21 वर्ष** या कोर्स समाप्ति तक
- अन्य छात्रवृति देय नहीं होंगी।

स्वरोजगार

- आवेदन, उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उपकरण/कच्चा माल हेतु **अधिकतम 50000 या वास्तविक लागत** (जो भी कम हो)
- **21 वर्ष तक** सिमित।
- **अन्य ऋण योजनाओं** से लाभ हेतु प्रयास

मुख्यमंत्री राजश्री योजना – मुख्य उद्देश्य

- राज्य में **बालिका जन्म** के प्रति **सकारात्मक वातावरण** तैयार करते हुए बालिका का **समग्र विकास** करना।
- बलिकाओं के लालन पालन , शिक्षण व स्वास्थ्य के मामलों में होने वाले **लिंग भेद को रोकना** एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- **संस्थागत प्रसव** को बढावा देकर **मातृ–मृत्यु दर में कमी** लाना।
- बालिका **शिशु मृत्यु दर में कमी** लाना एवं घटते लिंगानुपात को सुधारना।
- विद्यालयों में **बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव** सुनिश्चित करना।
- बालिका को समाज में **समान अधिकार** दिलाना।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना – पात्रता

- बालिका का जन्म **01 जून 2016 या उसके बाद** हुआ हो।
- राजस्थान के **मूल निवासी** हों। (ऐसी महिलाएं जिनका प्रसव राज्य से बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना परिलाभ प्राप्त किया है तो बालिका का जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने पर योजना से जोडा जा सकेगा)
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त 01 जून 2016 के बाद जन्मी सभी बालिकाओं को देय होगी जबकि **शेष किश्तें अधिकतम 2 बालिकाओं** को देय होंगी।
- **प्रथम किश्त** हेतु राजकीय एवं मान्यता **प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म**
- **द्वितीय किश्त** हेतु मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसाार **सभी टीके लगवाने पर।**
- **तृतीय किश्त** राजकीय विद्यालय में **प्रथम कक्षा में प्रवेश** लेने पर।
- कक्षा 6, 10 में प्रवेश व 12 में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः चौथी, पांचवी एवं छठी किश्त देय होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना – प्रक्रियाएं एवं लाभ

प्रथम किश्त –

2500

- संस्थागत प्रसव की सुनिश्चितता एवं युनिक आई डी नम्बर
- आवेदन की आवश्यकता नहीं।

द्वितीय किश्त

– 2500

- टीकाकरण की सुनिश्चितता एवं ऑनालईन ममता कार्ड अपलोड करना।

तृतीय किश्त

– 4000

- ईमित्र आवेदन।
- राजकीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर
- मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड
- विद्यालय प्रवेश प्रमाण
- दो संतानों सबंधित स्वघोषणा

चतुर्थ किश्त

– 5000

पंचम किश्त –

11000

- ईमित्र आवेदन
- 6 व 10 में प्रवेश के दौरान
- प्रवेश प्रमाण–पत्र

षष्टम किश्त

– 25000

- ईमित्र आवेदन
- 12 वी कक्षा उत्तीर्ण करने पर
- अंकतालिका की प्रति

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना – पात्रता एंव प्रक्रिया

पात्रता :–

योजना के **SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS** वर्ग के वे छात्र–छात्राएं पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक **आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम** हो या जिनके माता– पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने **पर पे मैट्रिक्स का लेवल–11 तक का वेतन** प्राप्त कर रहे हों।

प्रक्रिया :–

- **ऑनलाइन** आवेदन **Single sign on Portal** पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना– देय लाभ

- **UPSC** द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से **75,000 रुपये** एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से **50,000 रुपये।**
- RPSC द्वारा आयोजित **आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतिभागी परीक्षा** की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम **से 50,000 रुपये** एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से **40,000 रुपये।** इसी प्रकार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राशि देय है।
- प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को **आवास, भोजन आदि के लिए 40,000 रुपये** अतिरिक्त राशि।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना– पात्रता

- **अनुसूचित जाति /जनजाति/अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार।**
- विशेष योग्यजन (आयकर दाता नहीं हो व कम से कम **40 प्रतिशत निःशक्तता** हो)
- महिला खिलाडी (**राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता** हो एवं स्वयं का विवाह होने पर)
- **पालनहार योजना** में लाभान्वित

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना– देय लाभ

सामान्य अनुदान

- अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक (31000 रू0)
- विशेष योग्यजन,महिला खिलाडी (21000 रू0)

10 वी पास

- अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक (41000 रू0)
- अन्य श्रेणी, विशेष योग्यजन,महिला खिलाडी (31000 रू0)

12 वी पास

- अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक (51000 रू0)
- अन्य श्रेणी, विशेष योग्यजन,महिला खिलाडी (41000 रू0)

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

- **18 वर्ष एवं अधिक आयु** की **विधवा/तलाकशुदा** अथवा **परित्यक्त** महिला
- राजस्थान की **मूल निवासी** हो एवं राजस्थान में **रह रही हो।**
- जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की **नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं** हो।
- समस्त स्त्रोतों से कुल **वार्षिक आय 48000 रुपये से कम** हो ।
- बीपीएल, अन्तोदय, आस्था कार्ड परिवार एवं शहरिया कथौडी, खैरवा जाति के परिवार, पंजीकृत एचआईवी एड्स को **आय सीमा में छुट** प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए संबंधित क्षेत्र **के विकास अधिकारी (पंचायत समिति)** एवं **शहरी क्षेत्र** में उस खण्ड के **उपखण्ड अधिकारी** को निर्धारित फार्म भर कर प्रस्तुत करें।

देय लाभ

- **18 से 55 वर्ष** तक **500** रुपये प्रतिमाह
- **55 से 60** वर्ष तक **750** रुपये प्रतिमाह
- **60 से 75** वर्ष तक **1000** रुपये प्रतिमाह
- **75 से अधिक** आयु पर **1500** रुपये प्रतिमाह

नोट :– यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र किसी राजकीय सेवा में हो ,केन्द्र/राज्य पेंशनर हो तो पात्र नहीं होगा।

पालनहार योजना

पात्रता

- अनाथ बालक/बालिका/न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे ।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की तीन संतान।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
- एचआईवी एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
- नाता जाने वाली माता की तीन संतान।
- विशेष योग्यजन माता/पिता की संतान।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान ।
- सिलिकोसिस पीड़ित माता–पिता के बच्चे।

प्रक्रिया व दस्तावेज

- (अनाथ बच्चों के लिए) मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो,भामाशाह कार्ड (जनआधार) बच्चे का आधार नम्बर ।
- सरपंच द्वारा संरक्षण का प्रमाण पत्र, विद्यालय नियमितता का प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की अंक तालिका, जन्म दिनांक व जन्म प्रमाण पत्र के साथ।
- फोटो (संरक्षक या माता की, बच्चे की एक प्रति) न्यायिक दण्डादेश की प्रति (दण्डित माता/पिता के बच्चे) खाता संख्या (राष्ट्रीय कृत बैंक), जाति प्रमाण पत्र
- राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र (एच.आई.वी. पॉजीटिव होने पर) पुनर्विवाह प्रमाण पत्र (नाता जाने वाली/पुनर्विवाहित विधवा माताओं के लिए))
- न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- **कियोस्क ई–मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन।**

देय लाभ

- 0–6 वर्ष के बच्चे के हेतु 500 रु. प्रति माह अनाथ बच्चे 1500 रु. प्रति माह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
- 6–18 वर्ष के बच्चे हेतु 1000 रु. प्रति माह अनाथ बच्चे 2500 रु. प्रति माह (स्कूल जाना अनिवार्य)
- पालनहार को बच्चों की अन्य जरूरतों के लिए 2000 रु.
- प्रतिवर्ष । (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं) पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बाल अधिकारिता विभाग

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

वात्सल्य योजना – व्यक्तिगत पालन पोषण एवं देखभाल

पात्रता :–

- **0 से 18 वर्ष** के ऐसे बालक जिन्हे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक गृहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र करने के बाद भी **दत्तक गृहण नहीं किया जा सका।**
- ऐसे बच्चे जो अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित नहीं है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हे किन्ही कारणों से **दत्तक ग्रहण हेतु विधि मुक्त नहीं** किया जा सका है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हित या उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14) में परिभाषित **देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे** जिनकी देखभाल में उनके **अभिवावक असमर्थ** है।

पोषक माता–पिता हेतु पात्रता

- ❑ भारतीय नागरिक जो विगत **2 वर्ष से राजस्थान का निवासी** हो।
- ❑ न्यूनतम **2 वर्ष का स्थायी वैवाहिक संबंध।**
- ❑ **आयकरदाता।**
- ❑ **संयुक्त आयु 120 वर्ष** एवं **एकल माता/पिता** की स्थिति में **35 से 65 वर्ष** के मध्य
- ❑ **एकल पुरूष**, **बालिका** का पोषक के रूप में **पात्र नहीं** होंगे।
- ❑ कोई **आपराधिक रिकार्ड नहीं** होना चाहिए।
- ❑ मानसिक एवं शारीरिक रूप से **स्वस्थ** होना चाहिए।

वात्सल्य योजना – प्रक्रिया एवं देय लाभ

- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के अनुसार निर्धारित **आवेदन मय आयु, आय, स्वास्थ्य , मूल निवास, पुलिस सत्यापन एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही** के विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- पोभाक माता/पिता को **2000 रूपए प्रति बच्चे प्रतिमाह** अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त होंगे।
- राशि **पोषक माता/पिता (यथासंभव माता के) के बैंक खाते** में दी जाएगी।
- **पालनहार** के लाभार्थी बालकों के मामलों में **भत्ता प्राप्त नहीं** होगा।

हर बच्चे को परिवारिक देखरेख का अधिकार है।

उत्कर्ष योजना – उद्देश्य एवं पात्रता

उद्देश्य

- राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों में आवासरत देखभाल एवं सरंक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को उनके **जैविक या विस्तारित परिवार में प्रत्यावर्तित करने** में सहयेाग ।
- कोविड माहमारी के परिपेक्ष्य में परिवार से विमुख /फोस्टर केयर में मौजूद बालकों की **शिक्षा में सहयोग।**

पात्रता

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका जिसकी **उम्र 18 वर्ष से कम** हो।
- बाल कल्याण समिति द्वारा **प्रायोजन सहायता प्रदान करने के योग्य माना** गया हो।
- कोविड 19 के परिपेक्ष्य में परिवार से विमुख/फोस्टर केयर में बच्चे जिन्हे जिला बाल संरक्षण **इकाई या समिति द्वारा योग्य माना गया** हो।

उत्कर्ष योजना – प्रक्रिया

- बाल देखरेख संस्थान द्वारा **साामजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट (22), व्यक्तिगत देखरेख योजना (7)** एवं **इतिवृत (43)** के आधार पर बच्चे को प्रायोजन सहायता की आवश्यकता के संबंध में आकलन।
- प्रस्ताव मय उपरोक्त प्रपत्रों के **जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित** किया जाएगा।
- इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति प्रेषित किया जाएगा। **बाल कल्याण समिति द्वारा आदेश।**
- आदेश के 15 दिवस के भीतर **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती** जारी की जाएगी।

उत्कर्ष योजना – देय लाभ

- प्रत्येक बच्चे को प्रायोजन भत्ते के रूप में **2000 रूपए प्रतिमाह** देय।
- बच्चें के नाम से **बैंक खाते में** राशि दी जाएगी (खाते का संचालन बच्चे के संरक्षक द्वारा किया जा सकता है)
- एक परिवार के **अधिकतम दो बच्चों को** योजना से लाभान्वित किया जा सकता है।
- प्रत्येक माह की **10 तारीख तक लाभान्वित** के खाते में लाभ दिया जाएगा।

समर्थ योजना – उद्देश्य एवं पात्रता

- किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बालक/बालिका जिनकी **आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी** है।
- कार्यक्रम अंतर्गत बालक को **अधिकतम 21 वर्ष तक लाभान्वित** किया जा सकेगा।
- अपवाद स्थिति में **दो वर्ष तक बढाया** जा सकेगा।
- योजना का **क्रियान्वन** चयनित **स्वयं सेवी संस्था द्वारा** किया जाएगा।

समर्थ योजना – प्रक्रिया

- योजना के क्रियान्वन के लिए **स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों से प्रस्ताव आमत्रित** करना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा **प्रस्ताव व शर्तों के अनुसार जांच।**
- राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन **सोसायटी को प्रेषित** की जाएगी।
- सोसायटी द्वारा **एक माह में आवश्यक निर्णय।**
- सोसायटी द्वारा स्वीकृती के उपरान्त संबंधित **संस्था द्वारा योजना का क्रियान्वन।**

समर्थ योजना – देय लाभ

- 6 से 8 बच्चों के समूहों के लिए **अस्थाई आधार पर सामूहिक आवास** की व्यवस्था।
- **व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान अनुदान या उच्चतर शिक्षा** के लिए लिए छात्रवृति एवं रोजगार मिलने तक सहयोग।
- पुर्नवास के लिए **नियमित परामर्श।**
- **उद्यमी क्रिया कलापों** के लिए **ऋण एवं अन्य सुविधाएं** उपलब्ध कराने में **सहयोग।**

गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना – उद्देश्य व पात्रता

उद्देश्य :–

- बच्चों को **पारिवारिक देखरेख**, प्यार एवं स्नेह आधारित देखरेख उपलब्ध कराना।

पात्रता :–

- 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिन्हे लंबे समय तक **परिवार अधारित देखरेख की आवश्यकता** है।

गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना – संस्था एवं पोषक माता–पिता हेतु पात्रता

संस्था हेतु :–

- जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा **इच्छुक स्वयं सेवी संस्था का चयन** और बाल कल्याण **समिति को प्रेषित** की जाएगी।
- बाल कल्याण समिति द्वारा **15 दिवस के भीतर निर्णय** एवं संस्था को गुप फोस्टर केयर फसिलिटी के **संचालन की स्वीकृती (प्रारूप 39 में)**
- मान्यता **3 वर्ष तक** वैध होगी जिसे **संतोषजनक** पाए जाने पर **और 3 वर्ष के लिए बढाया** जाएगा।

पोषक माता –पिता हेतु :–

- दोनों राजस्थान के **निवासी** हो।
- न्यूनतम 2 वर्ष का **स्थायी वैवाहिक संबंध।**
- आयकरदाता।
- कोई **आपराधिक रिकार्ड नहीं** होना चाहिए।
- मानसिक एवं शारीरिक रूप से **स्वस्थ** होना चाहिए।

गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना – देय लाभ

- ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु **अधिकृत संस्था को** पोष्य बच्चों के पालन हेतु जिला **बाल संरक्षण इकाई द्वारा** निम्नानुसार निर्धारित पालन–पोषण **देखरेख भत्ता** जारी किया जाएगा :–
- **रख–रखाव मद** – बालक/बालिका के पोषण, वस्त्र,शिक्षण,प्रशिक्षण, व दैनिक आवश्यकताओं के लिए **4000 रूपए प्रतिमाह प्रति बालक।**
- **मानदेय/पारिश्रमिक मद** – 02 देखभालकर्ताओं के लिए **20,000/– प्रति माह प्रति देखभालकर्ता।**
- **विविध मद** – संचालन के लिए **10000 रूपए प्रतिमाह।**

महिला अधिकारिता विभाग

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आई एम शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य – महिलाओं और बालिकाओं को आवश्यकतानुरूप **कौशल विकास व उन्नयन प्रशिक्षण** के अवसर **स्थानीय स्तर** पर प्राप्त कराना।

मुख्य प्रशिक्षण संस्थान –

- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा उनके ट्रैनिंग पार्टनर **(RSLDC)**
- राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर **(NIFT)**
- फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट, जोधपुर **(FDDI)**

समयानुसार वित्त विभाग की सहमति से **अन्य संस्थानों को भी अधिकृत** किया जाएगा।

आई एम शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना – स्वयं सहायता समूहों हेतु पात्रता

स्वयं सहायता समूह द्वारा संबंधित ट्रैड में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे समूह का सशक्तिकरण भी हो सकेगा।

पात्रता की शर्तें –

- **समूह** कम से कम **5 वर्ष पुराना** हो।
- समूह का **बैंक खाता** कम से कम **3 वर्ष पुराना** हो।
- समूह **पंचसूत्रों** की पालना करता हो।
- समूह द्वारा किसी **उत्पाद निर्माण व विपणन** का कार्य किया जा रहा हो।
- गत दो वर्षो का **टर्न ओवर न्यूनतम रू. 2 लाख** या अधिक हो।
- समूह की जो महिला प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगी, उनका उस ट्रैड में **आर्टिजन कार्ड धारक** होना आवश्यक।

आई एम शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना – प्रक्रिया

- संस्थानों के माध्यम से **लक्ष्य अनुरूप प्रशिक्षण** जिला कार्यालय द्वारा कराया जाएगा।
- **स्वयं सहायता समूहों/दक्ष व्यक्तियों** द्वारा प्रशिक्षण प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज **जिला कार्यालय भेजा** जाएगा।
- जिला कार्यालय के निर्देशन में संस्था द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें **75 प्रतिशत राशि CSR, NGO स्वयं के स्त्रोतो से** किया जाएगा, जबकि योजनान्तर्गत **25 प्रतिशत गैप फण्डिंग** प्राप्त कर सकेगा।
- **प्रशिक्षण प्रदाताओं को** ट्रेडवार भुगतान **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** NSDC की सामान्य **नियमों के अनुसार** देय होगा।
- प्रशिक्षण की **इच्छुक महिलाएं/बालिकाएं** आवेदन **जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी** को , **ग्रामीण स्तर** पर **साथिन** को कर सकती हैं।

आई एम शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना – देय लाभ

- चयनित संस्थानों एवं व्यक्तियों द्वारा **संस्थान परिसर/स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण** उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण की एवज में **ट्रेडवार** भुगतान हेतु वित्तीय भार का निर्वहन किया जाएगा।

आई एम शक्ति – उडान योजना – उद्देश्य

- **सैनटरी नैपकिन** के प्रयोग हेतु **प्रोत्साहन।**
- **माहवारी** के विषय में **जागरूकता** के लिए विशेष अभियान।
- **निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन** उपलब्ध कराना।
- **स्वयं सहायता समूहों** को सैनेटरी नैपकिन बनाने के लिए **प्राथमिकता, ऋण तथा क्रय वितरण में सहयोग।**
- स्वयं सेवी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों को **उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन।**

आई एम शक्ति उडान योजना – देय लाभ

- योजना का **चरणबद्ध रूप में क्रियान्वन।**
- प्रथम चरण में **राजकीय विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्रों में वितरण।**
- आगामी चरण में अन्य शिक्षण संस्थानों तथा आगनवाडियों पर वितरण।

शिक्षा सेतु योजना – उद्देश्य

- विद्यालय से **ड्रॉप आउट** हो चुकी बालिकाओं तथा किसी कारणवश औपचारिक **शिक्षा से वंचित** महिलाओं/बालिकाओं को **राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल** के माध्यम से **माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा** से जोडना।
- **शिक्षा से जोडकर** उनका क्षमतावर्धन एवं **आजीविका के बेहतर अवसरों** की उपलब्धता को बढाना।

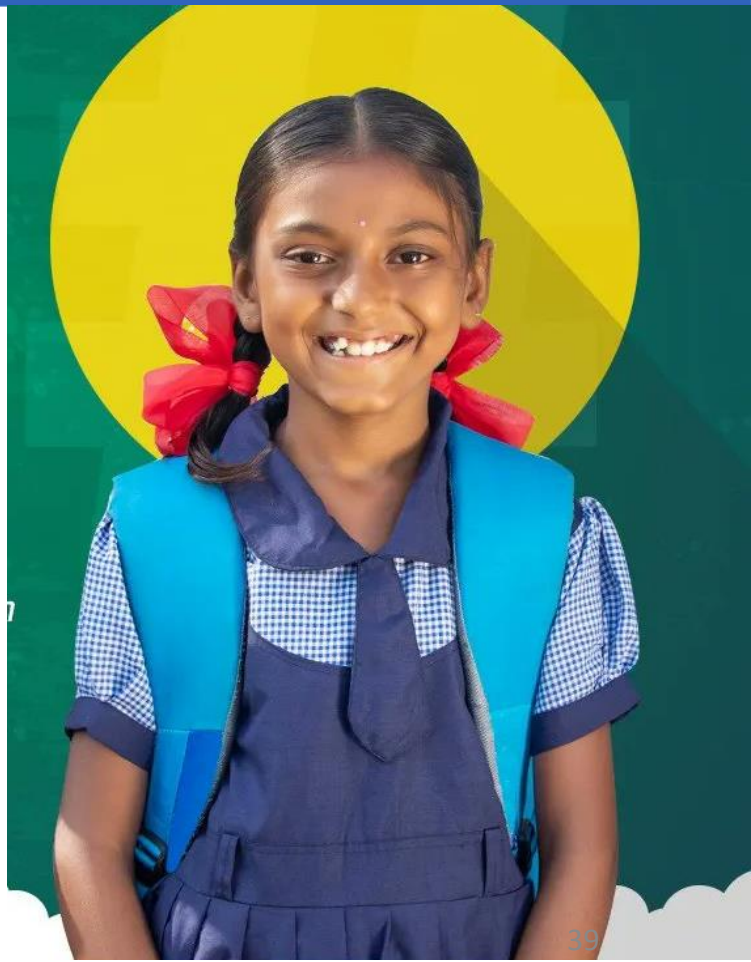

शिक्षा सेतु योजना – क्रियान्वन एवं प्रक्रियाएं

- महिला अधिकारिता विभाग के **फील्ड कार्यकर्ताओं व मानदेय कर्मियों द्वारा प्रोत्साहन।**
- ड्रॉप आउट तथा किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं/बालिकाओं द्वारा **राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पोर्टल पर आवेदन।**
- विभाग द्वारा लाभार्थी द्वारा प्रवेश के समय कोई फीस नही ली जागी एवं ओपन स्कूल को **फीस का पुर्नभरण विभाग द्वारा** किया जाएगा।
- **एक शैक्षिक वर्ष** में **दो सार्वजनिक परीक्षाएं** , एक बार **पंजीकरण** के उपरान्त **5 वर्ष की अवधि में 9 बार परीक्षा के अवसर।**

बेटी बचाओ – बेटी पढाओ योजना – मुख्य उद्देश्य

- जेन्डर पक्षपाती **लिंग जाचं** को **रोकना**।
- बालिकाओं के **अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित** करना।
- जन्म लिंगानुपात व **संस्थागत प्रसव में वृद्धि** के प्रयास करना।
- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र **में बालिकाओं के नामांकन को बढाना।**
- चयनित जिलों के प्रत्येक **स्कूल में लडकियों के लिए पृथक शौचालय** सुनिश्चित करना।
- **बाल यौन सुरक्षा कानून 2012** का प्रभावी क्रियान्वन।

बेटी बचाओ – बेटी पढाओ योजना – गतिविधियां

- बलिका सुरक्षा संबंधित **जागरूकता के लिए कार्यक्रम।**
- विशेष दिवसों पर **जागरूकता अभियानों का संचालन।**
- बेटी जन्मोत्सव, बेटियों के **जन्म पर वृक्षारोपण, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम** के लिए **शपथ कार्यक्रम।**
- स्वयं सेवी संस्थाओं, स्कूलों कॉलेजों, मिडीया आदि के माध्यम से समय–समय पर संवेदनशीलता के लिए **प्रशिक्षण।**
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** जैसे कार्यक्रमों का आयोजन।

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना (RS-CSEP) – उद्देश्य व पात्रता

उद्देश्य :–

- ❑ महिलाओं/बालिकाओं के **सर्वांगीण विकास** के लिए **स्वावलम्बी** बनाना।

पात्रता :–

- ❑ आयु– **16 से 45 वर्ष।**
- ❑ शैक्षणिक योग्यता :– **12वी पास।**

प्रक्रिया :–

- ❑ ऑनलाईन आमंत्रित आवेदनों के आधार पर **RKCL द्वारा सूची महिला अधिकारिता को** दी जाएगी।
- ❑ अधिक आवेदनों की स्थिति में **वरीयता के आधार पर।**

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना (RS-CSEP) – देय लाभ

- प्रशिक्षण RKCL द्वारा उनके चिन्हित **आई0टी0 ज्ञान केन्द्रों** पर प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक से की जाएगी एवं **कम से कम 65** प्रतिशत उपस्थिति पर ही परीक्षो के लिए योग्य माना जाएगा।
- प्रति प्रतिभागी भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा जिसमें से **लर्नर कोर्ड जारी** होने पर **50 प्रतिशत (2250 रू0)** व शेष राशि (**2250 रू0**) का भुगतान कोर्स पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा।

बच्चों को मुस्कुराने की वजह दें.

धन्यवाद।